

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 371 / 2012

दर्ज दिनांक:—23.10.2012

1. हरिसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. लालचंद पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

के.के.सिंघल

प्राथी अभिभाषक

भूपत कुमार जैन

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—06.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वादी द्वारा बार-बार उवसर देने के बाबजूद भी न तो कॉस्ट अदा की गई है और न शीर्षक पेश किया गया है। प्रतीत होता है कि वादी की अपने दावा को चलाने में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी 0-9.R-5CPC तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा0द0हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर